श्री भीमा काली जी सराहन एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2014 से 31.12.2015

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)(C)(ii) के अन्तर्गत एवं वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए) (3)/85–पार्ट–II, दिनांक 17.1.1989 के अनुसार हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, श्री भीमा काली जी सराहन एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर के अवधि 1.1. 2014 से 31.12.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास में निम्नविवरणानुसार मन्दिर आयुक्त एवं सहायक आयुक्त कार्यरत्त रहेः–

क्रमांक	आयुक्त	कार्यकाल
1.	श्री दिनेश मल्होत्रा	1.1.2014 से 31.12.2015
क्रमांक	**उपाध्यक्ष**	**कार्यकाल**
1.	श्री दलीप कुमार नेगी	1.1.2014 से 31.12.2015

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट– (1)** में दर्शाई गई है।

(घ) श्री भीमा काली जी सराहन एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2014 से 31.12.2015 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–

क्र0 सं0	पैरा सं0	संक्षिप्त विवरण	राशि लाखों में
1	5(ख)	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	365.36
2	5(ग)	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज में से बैंक द्वारा टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में की गई कटौती को आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारे	1.92
3	6(ख) (2)	चांदी के प्रारंभिक शेष में 6 किलो 474 ग्राम, 246 मिली ग्राम चांदी को कम दर्शाना	विवरण पैरे में दिया गया है
4	7	विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम राशि का लम्बी अवधि से समायोजन न करना	1.68
5	7.2	मंदिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए अग्रधन की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.45
6	8	आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.45
7	9	दुकानदारों से किराये की बकाया राषि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	16.74

8	10	किरायेदारों के किराये से TDS के रुप में की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग से प्राप्त न करना	11.22
9	16	आवष्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही निर्माण कार्य करवाना	2.11
10	18	श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास द्वारा निर्माण कार्यों के लिए अधिशासी अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग को दी गई डिपोजिट राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	48.09

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2014 से 31.12.2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार, सहायक नियंत्रक (ले0प0) द्वारा दिनांक 23.5.2016 से दिनांक 10.8.2016 के दौरान मन्दिर न्यास कार्यालय रामपुर बुशैहर में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 4/14, 6/15 तथा व्यय की जांच हेतु माह 10/14 व 12/15 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरोग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास के अवधि 1/2014 से 12/2015 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹33000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से भेजने हेतु सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्याः 2, दिनांक 9.8.2016 द्वारा मन्दिर न्यास/प्रषासन से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थितिः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 1/2014 से 12/2015 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–(क)** पर भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारंभिक शेष	कुल प्राप्ति	ब्याज	कुल	व्यय	अन्तशेष
2014	5156490.07	16235442.00	227454.00	21619386.07	18276583.00	3342803.07
2015	3342803.07	19526360.51	357083.00	23226246.58	16075089.05	7151157.53

Bank Reconcilation Statement

Balance as per Cash Book on dated 31.12.2015		7151157.53
Add:- Ch. Issued but not presented for payment upto 31.12.2015		
Ch. No. 207501, Dated 28.5.2015	325.00	
Ch. No. 352036, Dated 7.12.2015	10000.00	
Total	**₹10325.00**	10325.00

	Balance as per Bank Accounts	**7161482.53**
Detail of Balance as per Book Accounts on 31.12.2015		
H.P. State Co-Operative Bank Rampur Account No. 4311010103428		1119831.49
H.P. State Co-Operative Bank Rampur Account No. 4341010100001		2417831.00
State Bank of India Sarhahan Account No. 11565957374		1579914.10
Account No. 30785092122		1611387.96
UCO Bank Rampur Account No. 1543010000001		310360.00
Dena Bank Rampur Account No. 133810031008		106452.00
HDFC Bank Rampur Account No. 08051450000055		15705.98
	Total	**₹7161482.53**

5. सावधि निवेशः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट—'ख'** पर दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.12.2015 तक सावधि जमा योजना में निवेशित ₹365.36 लाख का लेखांकन रोकड़ बही में न किया जानाः—

मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 31.12.2015 तक सावधि जमा ₹36536492 से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.12.2015 तक निवेशित राशियों का लेखांकन रोकड़ वही में नहीं किया गया था। रोकड़ वही में सावधि निवेश का लेखांकन न करना एक गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि सावधि जमा में निवेशित राशि का लेखांकन न किए जाने से संस्था की वित्तीय स्थिति वास्तविक स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है। अतः सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को परिपक्वता तिथि पर आहरित/पुनः निवेश करके रोकड़ वही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए और इस विभाग को कृत कार्यवाही से अवगत करवाया जाए।

(ग) सावधि योजना में निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज में से बैंक द्वारा टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में की गई कटौती ₹1.92 लाख को आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारेः—

सावधि निवेश से सम्बन्धित रजिस्टर/अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न बैंकों द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि में से दिनांक 31.12.2015 तक निम्नविवरणानुसार टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में ₹191932 की कटौती की गई थी तथा न्यास द्वारा इस राशि को दिनांक 31.12.2015 तक आयकर विभाग से प्राप्त नहीं किया गया था और न ही इस राशि को प्राप्त करने हेतु आयकर विभाग से कोई पत्राचार किया गया था। अतः उक्त प्रकरण में विभागीय स्तर पर आवश्यक जांच की जाए तथा कृत अनुपालना को आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंकों द्वारा सावधि निवेश पर अर्जित ब्याज की राशि पर कटौती किए गए टी0डी0एस0 (आयकर) का विवरण

Sr. No.	Name of Bank	F.D.R. Account	Date of investment	Amount investment	Rated of interest	Due date of maturity	Maturity Amount	Received amount of maturity date	TDS deducted by the Bank
1	State Bank, Sarhan	82130	1.9.13	437831	8.75%	1.9.14	477417	477417	0
		82130	1.9.14	477417	8.75%	1.9.15	520581	504293	16288

2	State Bank, Sarhan	263434	18.8.11	211678	9.25%	18.8.15	305165	284486	20679
3	State Bank, Sarhan	19747	4.8.13	2454715	8.75%	4.8.14	2676654	2654176	22478
			4.8.14	2654176	8.75%	4.8.15	2901236	2876204	25032
			4.8.15	2876204	8.75%	4.8.16	-	-	-
4	Dena Bank, Rampur	4962118	1.9.13	1185108	8.75%	1.9.14	1292257	1282095	10162
		4962262	1.9.14	1282095	9.10%	1.9.15	1402808	1390735	12073
		1338660-31004	1.9.15	1390735	8.10%	1.9.16	-	-	0
5	Dena Bank, Rampur	1338660-31016	12.4.13	1416865	9.00%	12.4.14	1548755	1536013	12742
			12.4.14	1536013	9.00%	12.4.15	1678990	1665175	13815
			12.4.15	1665175	8.50%	-		-	0
6	Dena Bank, Rampur	1338660-31022	7.6.12	1585000	9.30%	7.6.15	2088384	2038562	49822
			7.6.15	2038562	8.30%	7.6.16		-	0
7	PNB, Rampur	468398	25.6.13	293165	9.00%	28.6.14	320454	317667	2787
		468398	25.6.14	317667	9.00%	25.6.15	347237	341183	6054
								Total	**₹191932**

6 सोने एवं चांदीः—

मन्दिर न्यास द्वारा **परिषिष्ट 'ख'-(I)** पर प्रमाणित विवरणानुसार सोना, अशुद्ध चांदी तथा शुद्ध चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

(क) सोनाः—

(i) श्री भीमा काली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर बुशैहर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश) के सोना एवं चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार दिनाक 31.12.2015 को सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थीः—

	श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन				श्री दुर्गा माता मन्दिर श्रीईकोटी			कुल योग		
वर्ष	विवरण	कि0	ग्राम	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0
2011	**आरम्भिक शेष**	3	701	30	4	904	419	8	605	449
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	152	951	0	344	654	0	497	605
	दिनांक 31.12.14 को अन्तशेष	3	853	981	5	249	73	9	103	54
2012	**आरम्भिक शेष**	3	853	981	5	249	73	9	103	54
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	171	653	0	245	145	0	416	798
	दिनांक 31.12.15 को अन्तशेष	**4**	**25**	**634**	**5**	**494**	**218**	**9**	**519**	**852**

सराहन व श्राईकोटी मन्दिर का कुल सोना 9 किलो 519 ग्राम 852 मिली ग्राम सराहन खजाने में जमा किया गया है।

(ii) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास, अधिनियम, 1984 की धारा 12—ए(2) के प्रावधानों को लागू न करनाः—

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12—A(2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20**%** सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना

अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की जांच से यह विदित हुआ कि मन्दिर न्यास द्वारा इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहां न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है, वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) चांदीः–

श्री भीमा काली जी मन्दिर न्यास एवं अन्य समूह मन्दिरों के न्यास रामपुर के पास दिनांक 31.12.2015 को अशुद्ध चांदी, शुद्ध चांदी तथा अन्य धातुओं का विवरण निम्नानुसार थाः–

(i) अषुद्ध चांदी

		श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन			श्री दुर्गा माता मन्दिर श्रीईकोटी			कुल योग		
वर्ष	विवरण	कि0	ग्राम	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0	कि0	ग्रा0	मि0ग्रा0
2014	**आरम्भिक शेष**	4	896	910	34	936	63	39	832	973
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	6	226	728	3	795	50	10	21	778
	दिनांक 31.12.14 को अन्तशेष	11	123	638	38	731	113	49	854	751
2015	**आरम्भिक शेष**	11	123	638	38	731	113	49	854	751
	वर्ष के दौरान प्राप्ति	7	330	580	3	599	98	10	929	678
	दिनांक 31.12.15 को अन्तशेष	**18**	**454**	**218**	**42**	**330**	**211**	**60**	**784**	**429**

नोटः– श्री भीमा काली जी एवं श्री श्राईकोटी मन्दिर एवं अन्य समूह मन्दिर न्यास रामपुर के खजाने में अशुद्ध चांदी दिनांक 31.12.2015 को 60 किलो, 784 ग्राम 429 मि0 ग्राम थी।

नोटः– उपरोक्त के अतिरिक्त चांदी के सिक्कों की संख्या जो सराहन मन्दिर के खजाने में जमा है। (सिक्के 14, सिक्के 0.046 ग्राम मुहरा तांबा सहित 400 ग्राम)

(ii) अशुद्ध चांदी 6 किलो 474 ग्राम 246 मि0 ग्राम का संदिग्ध दुरूपयोगः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2011 से 31.12.2013 के पैरा 7 (ख)(1) व उपाध्यक्ष श्री भीमाकाली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर द्वारा तैयार अशुद्ध चांदी की स्थिति दिनांक 31.12.2013 को 39 किलो 832 ग्राम 973 मि0 ग्राम शेष थी। **(परिषिष्ट–''ग'')**

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1.1.2014 से 31.12.2015 हेतु अशुद्ध चांदी का प्रारम्भिक शेष उपरोक्त न दर्शाकर 33 किलो 358 ग्राम 727 मि0 ग्राम दर्शाकर **(परिशिष्ट–'घ')** 6 किलो 474 ग्राम 246 मि0 ग्राम अशुद्ध चांदी का संदिग्ध दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। यही अन्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन के अन्तशेष व मन्दिर न्यास द्वारा तैयार स्थिति के अन्तशेष में भी है। यह प्रकरण सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1 दिनांक 8.8.2016 द्वारा उपाध्यक्ष, श्री भीमा काली जी मन्दिर न्यास को स्थिति स्पष्ट करने हेतु ध्यानार्थ लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक लेखा परीक्षा को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करवाया गया। अतः इस प्रकरण की मन्दिर न्यास द्वारा जांच कर कृत अनुपालना से इस विभाग को यथाषीघ्र अवगत करवाया जाए।

(iii) शुद्ध चांदीः–

मन्दिर अधिकारी श्री भीमा काली जी मन्दिर एवं अन्य समूह मन्दिरों के न्यास, रामपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र **(परिशिष्ट–'ङ')** के अनुसार अशुद्ध चांदी का शुद्धिकरण नहीं किया गया। अतः दिनांक 31.12. 2013 को शेष शुद्ध चांदी 35 किलो 983 ग्राम ही दिनांक 31.12.2015 तक शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक 31.12.2015 को शेष विवरण	किलो	ग्राम
श्री लकड़वीर जी सराहन के मन्दिर में सिंहासन के रूप में चांदी	21	969
हरणसिंगो के रूप में चांदी	6	928
सराहन मन्दिर में पूजा पात्रों के रूप में चांदी	5	840
शुद्ध चांदी (Solid) रूप में खजाने में जमा	1	246
कुल	**35**	**983**

इसके साथ–साथ सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में सोने, अशुद्ध चांदी एवं शुद्ध चांदी का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन (Annual Physical Verification) करवाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

(iv) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की धाराओं के प्रावधानों को लागू न करनाः–

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–ए (2) (B)(iii) के प्रावधानानुसार 60**%** चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व सूचना के अवलोकन से विदित हुआ है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहां न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है, वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी एक दशक से भी अधिक समय से वंचित होना पड़ रहा है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अग्रिम ₹1.68 लाख को लम्बी अवधि के बाद भी समायोजित न किए जाने बारेः–

(1) अग्रिम राशियों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियों का भुगतान विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम के रूप में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों एवं संविदाकारों को किया गया था, उनसें से कुछ एक से वसूली करने के उपरान्त भी ₹168156 असमायोजित/वसूल किए जाने हेतु बकाया थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक 31.12.2015 को समायोजन के लिए लम्बित अग्रिम का विवरण

क्र0 सं0	वा0 सं0	दिनांक	जिसको भुगतान किया का ब्यौरा	प्रयोजन	राशि
1.	260	3.6.1987	श्री बनबारी लाल	कोटा स्टोन की खरीद के लिए	10000
2.	16	24.4.1987	श्री बसंत लाल	दत्तनगर में मन्दिर की मुरम्मत	2500
3.	86	5.4.1987	श्री बनबारी लाल	कोटा स्टोन की खरीद	11477

4.	97	13.7.1987	श्री बनबारी लाल	कोटा स्टोन की खरीद	10000
5.	132	13.8.1987	श्री बनबारी लाल	कोटा स्टोन की खरीद	10000
6.	186	13.8.1987	श्री बनबारी लाल	कोटा स्टोन की खरीद	10000
7.	230	12.6.1988	श्री तारा चन्द	लकड़ी के कार्य के लिए	2500
8.	233	26.12.2008	श्री तारा चन्द	बिरोजा को इक्ट्ठा करने के लिए	2500
9.	64	18.5.1991	श्री श्याम लाल	स्टोन कार्य के लिए	5279
10.	123	28.6.1991	श्री श्याम लाल	स्टोन कार्य के लिए	2000
11.	169	25.5.1994	श्री श्याम लाल	For Building Works.	1000
12.	581	30.11.1994	श्री शेर सिंह	अग्रधन (प्रयोजन नहीं दर्शाया)	2400
13.	954	3.10.1995	श्री मनोहर लाल	Shuttering के कार्य	6000
14.	117	6.5.1989	श्री कृष्ण कुमार	बिरोजा को इक्ट्ठा करने के लिए	4000
15.	236	22.7.2005	डी0एल0ओ शिमला	Monograph Printing	3000
16.	418	21.10.2005	एन0एस0 प्रिंटर दिल्ली	Purchase of Calander	40000
17.	419	21.10.2005	श्री सतीश कश्यप	घड़ियां क्रय करने के लिए	5000
18.	8	4.10.2006	श्री जय नन्द पुजारी	अग्रधन (प्रयोजन नहीं दर्शाया)	10000
19.	232	15.12.1986	श्री कृष्ण कुमार	बिरोजा को इक्ट्ठा करने के लिए	20000
20.	952	3.10.1995	एस0डी0एम रामपुर	For Silver Work	9000
21.	118	5.5.1989	श्री जय लाल कपूर	for Kota Stone	1500
				कुल योग	**₹1,68,156**

जांच करने पर पाया गया कि यह आग्रिम राशियां लम्बी अवधि से समायोजन के लिए लम्बित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा इस सन्दर्भ में कोई ठोस अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं हो सका। इतनी लम्बी अवधि से अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया जाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः न्यास इन अग्रिम राशियों के समायोजन/वसूली अविलम्ब करने हेतु कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

7.2 मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए अग्रधन ₹1.45 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान की मुरम्मत के लिए प्रस्ताव पारित कर ₹50000 अग्रधन देने का प्रावधान न्यास निधि से किया गया । अभिलेखों की जांच तथा न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 31.12.2015 तक कर्मचारियों से ₹145000 की बकाया वसूली शेष थी, जिसका विवरण **परिषिष्ट–(च)** में दिया गया है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि जिस शर्त पर कर्मचारियों को अग्रधन दिया गया, उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि न्यास द्वारा अपने प्रस्ताव में जो अग्रधन देने की शर्त रखी गई थी क्या वे शर्त कर्मचारी पूरी करते थे, जिन्हें अग्रधन दिया गया। अतः अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए और उक्त बकाया अग्रधन की वसूली नियमानुसार शीघ्र कर आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

8. रोकड़ बही में आय के रूप में लेखांकित ₹0.45 लाख से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:–

चयनित मास में रोकड़ वही और आय से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा रोकड़ वही में निम्नविवरणानुसार ₹44921 का लेखांकन किया गया है परन्तु आय के साक्ष्य में अभिलेख अर्थात रसीदें इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके अभाव में रोकड़ वही में लेखांकित आय की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी। अतः आय के साक्ष्य अभिलेख अर्थात रसीदों इत्यादि के बिना आय को रोकड़ वही में लेखाकिंत करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में प्राप्त आय से सम्बन्धित रसीदों इत्यादि जारी करने के उपरान्त ही रोकड़ वही में आय का लेखांकन सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

प्राप्त आय का विवरण	दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	रोकड़ वही में लेखाकिंत की गई राशि
विश्राम गृह सराहन से प्राप्त आय	1.6.2015	116	500
			500
विश्राम गृह सराहन से प्राप्त आय	8.6.2015	118	1500
–यथोपरि–	9.6.2015	119	1100
विश्राम गृह सराहन से प्राप्त किराया/आय	10.6.2015	120	3000
–यथोपरि–	12.6.2015	121	3000
–यथोपरि–	13.6.2015	121	7250
–यथोपरि–	13.6.2015	121	3000
–यथोपरि–	13.6.2015	121	1400
–यथोपरि–	15.6.2015	121	1200
–यथोपरि–	16.6.2015	122	1200
–यथोपरि–	18.6.2015	123	1700
–यथोपरि–	18.6.2015	123	1050
–यथोपरि–	2.4.2014	84	1000
–यथोपरि–	4.4.2014	85	500
–यथोपरि–	4.4.2014	85	500
अमर उजाला का किराया	4.4.2014	85	3300
विश्राम गृह रामपुर से आय	7.4.2014	86	900
श्री अयोध्या नाथ मन्दिर हॉल का किराया	10.4.2014	87	100
स्राहन कैंटीन का किराया	11.4.2014	88	2500
भेंट से आय	11.4.2014	88	600
विश्राम गृह सराहन से आय	16.4.2014	89	850
विश्राम गृह रामपुर से आय	17.4.2014	90	2100
विश्राम गृह सराहन से आय	17.4.2014	90	1350
भेंट से आय	18.4.2014	90	1001
विश्राम गृह सराहन से आय	23.4.2014	93	550
–यथोपरि–	23.4.2014	93	1000
–यथोपरि–	23.4.2014	93	1500
–यथोपरि–	23.4.2014	93	500
		कुल योग	**₹44921**

9. दुकानों के किराये की ₹16.74 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

वर्ष 2014 तथा वर्ष 2015 के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न किरायेदारों से दिनांक 31.12.2015 तक किराये की ₹1673739 वसूली हेतु शेष थी। इन सभी किरायेदारों से वसूली हेतु शेष राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–'छ'** पर दिया गया है। अतः इन किरायेदारों से लम्बित किराये की वसूली नियमों में दिए प्रावधानों के अनुसार अविलम्ब की जाए और कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 श्री संजीव अग्रवाल, किरायेदार बड़ा अखाड़ा मन्दिर परिसर में दी दुकान को खाली करने पर किराये ₹0.28 लाख की वसूली न करनाः–

वर्ष 2014 के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि श्री संजीव अग्रवाल को बड़ा अखाड़ा मन्दिर परिसर में दुकान आवंटित थी, जोकि उनके द्वारा ट्रस्ट को दिए पत्र के अनुसार दिनांक 31.10.2014 को खाली कर दी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किरायेदार से दिनांक 31.10.2014 तक किराये के रूप में ₹211000 वसूल किए जाने अपेक्षित थे, जबकि मन्दिर ट्रस्ट में केवल ₹183000 ही प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप ₹28500 की वसूली उपरोक्त दुकानदार से अपेक्षित थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष 2014 के किराये की वसूली का विवरण

क्र0 सं0	किरायेदार का नाम	बकाया किराया 31.12.13 तक	किराया 1.4.14 से 31.10.14 तक	कुल किराया वसूली योग्य	जितना किराया वसूल किया	बकाया किराया
22	श्री संजीव अग्रवाल दुकान नंबर	59000	15250x10=152500	211000	183000	28500

मन्दिर न्यास द्वारा किराया मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर में किरायेदार से कितना किराया वसूली योग्य है और कितना वसूल किया गया व कितना बकाया में की कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार करके ₹28500 किराये की वसूली उचित स्त्रोत की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10. किरायेदारों के किराये से टी0डी0एस0 (आयकर) के रूप में कटौती ₹11.22 लाख को आयकर विभाग से प्राप्त न करने बारेः–

किराया के मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा किरायेदारों से प्राप्त किराये को टी0डी0एस0 (आयकर) की कटौती काटर कर जमा किया गया दर्शाया गया है और टी0डी0एस0 की राशि को अलग से दर्शाया गया है। वर्ष 2014 व 2015 में किरायेदारों ने किराये की राशि को टी0डी0एस0 (Income Tax) की कटौती ₹956135 को काटकर न्यास में जमा किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट–'ज'** में दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2011 से 31.12.2013 तक के पैरा 11 में किरायेदारों ने TDS (Income) ₹1352186 काटकर किराया जमा किया था तथा अंकेक्षण द्वारा

आयकर विभाग को TDS (Income) ₹1352186 की भरपाई हेतु मामला उठाकर भरपाई हेतु अनुरोध किया, जिसके अन्तर्गत श्री भीमा काली जी मन्दिर एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास को निर्धारण वर्ष 2011–12 में चैक संख्याः 140642, दिनांक 22.5.2015 को ₹296230 निर्धारण वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत चैक संख्याः 140643 दिनांक 22.5.2015 को ₹420720 तथा निर्धारण वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत चैक संख्याः 444204, दिनांक 17.6.2015 को ₹469140 की भरपाई हुई, जोकि कुल मिलाकर ₹1186090 प्राप्त हुए। अतः इस प्रकार अवधि 31.12.2013 तक TDS के रूप में की कुल कटौती ₹1352186 में से ₹1186090 ही आयकर विभाग से प्राप्त हुए हैं व इसके अतिरिक्त अभी भी आयकर विभाग से ₹166096 प्राप्त किए जाने शेष हैं। वर्ष 2014 व 2015 में भी किरायेदारों ने दुकानों, परिसर आदि का किराया TDS की कटौती काट करके मन्दिर न्यास में जमा किया, जिसके अन्तर्गत उक्त दो वर्षों में ₹956135 TDS के अन्तर्गत कटौती की गई। इस सम्बन्ध में पूर्व की तरह आयकर विभाग से पत्राचार करके TDS के रूप में आयकर के अन्तर्गत की गई कटौती ₹956135 तथा दिनांक 31.12.2013 के बकाया ₹166096 अर्थात कुल ₹1122231 की भरपाई शीघ्र की जाए और कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जो TDS सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों से सीधा बैंक द्वारा काटा गया, उसकी भरपाई से सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही करके सम्बन्धित अभिलेख से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. विश्राम गृह व संराय से प्राप्त आय को देरी से बैंक में जमा करवाने बारेः–

सराहन मन्दिर से स्थित विश्राम गृह व सराय से प्राप्त आय का अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि विश्राम गृह व सराय से विभिन्न कार्यदिवसों में प्राप्त आय को निम्न विवरणानुसार बैंक में देरी से जमा करवाया गया था। अतः भविष्य में प्राप्त आय को दिन–प्रतिदिन के आधार पर बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रसीद संख्या	राशि	राशि प्राप्त करने की तिथि	राशि जमा करने की तिथि
1.	15800 to 15803	2450	2.4.2014	7.4.2014
2.	15804 to 15808	2750	3.4.2014	7.4.2014
3.	15809 to 15812	2350	4.4.2014	7.4.2014
4.	15813 to 15817	3450	5.4.2014	16.4.2014
5.	15818 to 15822	4050	6.4.2014	16.4.2014
6.	15823 to 15825	1350	7.4.2014	16.4.2014
7.	15826 to 15830	2200	8.4.2014	16.4.2014
8.	15831 to 15833	1350	9.4.2014	16.4.2014
9.	15834 to 15835	2900	10.4.2014	16.4.2014
10.	15836 to 15838	2300	11.4.2014	16.4.2014
11.	15839	500	11.4.2014	18.4.2014
12.	15840 to 15842	3100	12.4.2014	18.4.2014
13.	15843 to 15850	4800	13.4.2014	18.4.2014
14.	15851	2800	14.4.2014	18.4.2014

15.	15852	400	14.4.2014	23.4.2014
16.	15853 to 15856	2300	15.4.2014	23.4.2014
17.	15857 to 15858	2100	16.4.2014	23.4.2014
18.	15859 to 15861	4850	17.4.2014	23.4.2014
19.	15862 to 15863	3300	18.4.2014	23.4.2014

11.1 विश्राम गृह सराहन में कमरे से प्राप्त आय ₹1000 को बैंक में जमा न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री सोमी लेख, 1388 सैक्टर–4 गुडगांव हरियाणा में श्री भीमा काली जी मन्दिर सराहन के विश्राम गृह में 11.6.2015 को एक दिन के लिए कमरा नंबर 5 व 6 बुक किया, जिसके अन्तर्गत रसीद संख्याः 19173, दिनांक 11.6.2015 को जारी करके ₹1000 प्राप्त किए, जोकि बैंक में जमा नहीं किए गए थे। यह राशि अंकेक्षण के दौरान दिनांक 29.7.2016 को राज्य सहकारी बैंक सराहन में जमा करवा दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में विश्राम गृह से प्राप्त आय को समय पर बैंक खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. विभिन्न भुगतानों को करने से पूर्व आवष्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करने बारेः—

मन्दिर न्यास की अंकेक्षणाधीन अवधि 1/2014 से 12/2015 के अन्तर्गत चयनित माह के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न वाउचरों के अन्तर्गत किए गए भुगतान से पूर्व आवष्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था जैसे कि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना भुगतान से सम्बन्धित प्राप्त रसीदों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं करवाना, मस्ट्रोल द्वारा करवाए निर्माण कार्यों के अनुमान इत्यादि तथा इनके अन्तर्गत भुगतान से सम्बन्धित हस्ताक्षरों को सक्षम अधिकारी द्वारा अदायगी प्रमाण (Certified thad the payment me paid to correct peason in my Presence) न करना और न ही मस्ट्रोल पर मजदूरों के कार्य की प्रगति की रिपोर्ट दर्ज करना आदि। अतः इन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	वा0 सं0/ दिनांक	जिसे भुगतान किया का ब्यौरा	राशि	अनिवार्य औपचारिकताओं जो पूर्ण नहीं की गई थी
1.	529, 10/14	नवरात्रे के दिनों में किए भुगतान	14947	बिना पूर्ण स्वीकृति प्राप्त किए भुगतान को सक्षम अधिकारी से पारित करवाकर करना और भुगतान में दिए दक्षिणा में प्राप्त रसीदों को सत्यापित न करवाना
2.	531, 10/14	मस्ट्रोल द्वारा लेबर आदि को किए भुगतान बारे	59669	श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन में हवन कुण्ड में कुण्ड निर्माण व रथ के मुरम्मत करवाई व म्यूजिम के सामने टाईल व पत्थर बिछाने आदि में कार्य की प्रगति को न दर्शाना और न ही स्वीकृत अनुमान पत्र को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करना तथा अनिवार्य भुगतान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मस्ट्रोल पर न देना
3.	532, 10/14	श्री भीमा काली जी मन्दिर सराहन में	10200	इस सम्बन्ध में कोई अनुमान पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया तथा लेबर को किए भुगतान में

		लकड़ी ढुलान के एवज में मस्ट्रोल द्वारा लेबर को भुगतान		मजदूरों द्वारा किए हस्ताक्षरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।
4.	551, 10/14 व 552, 10/14	कर्मचारी को यात्रा भत्ता दावे का भुगतान	1478 1596 3074	कर्मचारी श्री हरदयाल सिंह को यात्रा भत्ते दावों का भुगतान बिना सक्षम अधिकारी से यात्रा कार्यक्रम को स्वीकृत करवाए बिना
5.	556, 10/14	मैसर्ज कराटे फोटोस्टेट रामपुर	525	मन्दिर ट्रस्ट ने 8.9.14 से 14.10.2014 तक करवाये फोटोस्टेअ के सन्दर्भ में भुगतान किया परन्तु फोटोस्टेट किस–किस कार्यालय पत्राचार का करवाया गया कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया।
6.	566, 10/14 व 567, 10/14	श्री भरत सिंह गांव जागोठी तहसील रोहड़ू जिला शिमला तथा श्री भरत सिंह द्वारा दशालनी रोहड़ू जिला शिमला	10000 1200 11200	100 नंबर तथा 10 नंबर फ्रेमें आदि के लिए लकड़ी ढुलाई का भुगतान किया, परन्तु इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की और न ही कोटेशन को मन्दिर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाया

13. श्री रघुनाथ मन्दिर लम्बु आखाड़ा रोहड़ू के मुरम्मत कार्य लिए क्रय सामग्री ₹1.65 लाख बारेः–

श्री भीमा काली जी मन्दिर ट्रस्ट रामपुर ने श्री रघुनाथ जी मन्दिर लम्बू आखाड़ा, रोहड़ू की मुरम्मत के लिए निम्नलिखित सामग्री की खरीद की।

वा0 सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं बिल सं0/दिनांक	सामग्री का ब्यौरा	राशि
578, 10/14	M/s S.K. Electricals Rohru. 118, Bill No. 117. Dated 29.9.14	बिजली का सामान	72842
569 से 571, 10/14	M/s Uttam General Store Rohru Distt Shimla, Bill No. 1678 dt. 30.8.14, Bill No. 1696 dt. 29.9.14, Bill No. 1697 dt. 29.9.14	प्लाई आदि की सामग्री	37769

उक्त भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा सामग्री की खरीद निविदाओं के आधार पर की गई थी, परन्तु इस सामग्री के बिलों में कुछ एक ऐसा सामान भी खरीद किया गया, जिसको सीधा फर्म से बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए क्रय किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Vr. No.	Name of Firm	Item	₹
569, 10/14	M/s Uttam General Store Rohru Distt Shimla, Bill No. 1678, dt. 30.8.14	4 Ltr Wooden Primer	695
		4 Ltr. White Paint	1020
		4 Ltr. T. Oil	480
		5 Kg Nail 2-3″	350
		1 Kg Nail 1½″	72
		1 Packet Screw	40
		21 Drush 3″	270
			2927
		Vat 50%	**146.35**

		Total	**3037.35**
570, 10/14	-do- Bill No. 1696, dt. 20.9.2014	65Ft. Beading	357.50
		3x4Ltr. Wooden Primer	2085
		10Ltr. T.T. Oil	1200
		4Ltr. White Paint	1020
		5 Kg. White Cement	125
		2 Kg. Fevicol	390
		2 Ply 6x3x9	1476
		2 Ply 6x3x6	662
		2 Hings 6'	232
		4 Chappu Handle	32
		1 Packet Screw ¾"	45
		4 PC lock	240
		1 Set Pawa	120
			7986
		Vat 50%	**399**
		Total	**8383**
571, 10/14	-do- Bill No. 1697, dt. 20.9.2014	2 Piece Ply 6x3=12	1080
		2 Piece Ply 6x3=9	1476
		2Kg. Nail	140
		3Kg. Nail	210
			2906
		Vat 50%	**145**
		Total	**3051**

अतः मन्दिर न्यास द्वारा इसके साथ खरीद किए अन्य सामान के साथ उपरोक्त विवरण में दर्शाई सामग्री की खरीद हि0प्र0 वित्तानियमावली, 2009 में दिए दिशा–निर्देशानुसार न करके व बिना बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सामग्री का क्रय वित्तीय नियमावली में दिए दिशा–निर्देशानुसार की किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.1 क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री रघुनाथ मन्दिर लम्बू अखाड़ा रोहड़ू की मुरम्मत के लिए खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई थी। जबकि नियमानुसार जो भी सामग्री खरीद की गई उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करके वहां से उस कार्य को जारी की जानी अपेक्षित थी, जिस कार्य में यह सामग्री उपयोग होनी थी, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा बिना स्टॉक प्रविष्टि के सामग्री का उपयोग किया गया प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त दर्शाए बिलों के द्वारा खरीद की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर वहां से कार्य को पूर्ण विवरण सहित जारी की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यास के किस मन्दिर के लिए सामग्री को जारी किया गया। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. सक्षम अधिकारी से यात्रा कार्यक्रम को अनुमोदन करवाए बिना यात्रा भत्ते दावों ₹2232 का अनियमित भुगतान

(1) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह के व्यय वाउचरों में मन्दिर न्यास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावों का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वा0 सं0 / माह	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	ब्यौरा	माह	राशि
1846 / माह 12 / 15	श्री बालक राम नेगी मन्दिर अधिकारी	यात्रा भत्ता दावा	10 / 15	1132
1847 / माह 12 / 15	श्री हरदयाल सिंह	–यथोपरि–	9 / 15	1100
551 / माह 10 / 14	श्री हरदयाल सिंह	–यथोपरि–	9 / 14	1478
552 / माह 10 / 14	श्री हरदयाल सिंह	–यथोपरि–	8 / 14	1596

उक्त वर्णित यात्रा भत्ते दावों में यात्रा कार्यक्रम को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति / अनुमोदित नहीं करवाया गया है। अतः बिना सक्षम अधिकारी से वास्तविक यात्रा कार्यक्रम को स्वीकृत / अनुमोदन करवाए यात्रा भत्ते दावों का भुगतान अनियमित है। अतः इन यात्रा कार्यक्रमों को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाकर नियमित करवाया जाए।

(2) यात्रा भत्ते दावे में ₹300 का अधिक / अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री बालक राम नेगी, मन्दिर अधिकारी ने माह अक्तूबर, 2015 के यात्रा भत्ते दावे में ₹300 होटल चार्जिज प्राप्त किया है और साथ एक दैनिकी ₹180 प्राप्त की है। जांच के दौरान पाया गया कि यात्रा भत्ते दावे के साथ होटल चार्जिज से सम्बन्धित रसीद संलग्न नहीं थी, जिस फलस्वरूप ₹300 का अधिक / अनियमित भुगतान किया जिसकी वसूली कर मन्दिर न्यास में जमा की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. मन्दिर न्यास द्वारा खाद्य सामग्री के क्रय हेतु विभिन्न फर्मों को देय राशि से ₹848 का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर हेतु खाद्य सामग्री के क्रय का निम्न फर्मों को देय राशि से अधिक भुगतान किया गया।

वा0 सं0 / माह	फर्म का नाम	बिल सं0	मद का ब्यौरा	दर	भुगतान योग्य राषि	दर्शित व भुगतान राशि	अधिक भुगतान
1860, माह 12 / 15	मैं0 चौधरी मल घुंघर मल, सराहन तहसील रामपुर जिला षिमला	769 / 3.9.15	2 कि0ग्रा0 धुली माश	84	168	252	84
1861, माह 12 / 15	मैं0 चौधरी मल घुंघर मल, सराहन तहसील रामपुर जिला षिमला	772 / 3.9.15	6 कि0ग्रा0 आटा	22	132	176	44
1901, माह 12 / 15	शम्भू राम, दीप चन्द रामपुर	2480 / 12.8.15	3 कि0ग्रा0 मखाने	60	180	360	180
1957, माह 12 / 15	मैं0 चौधरी मल घुंघर मल, सराहन तहसील रामपुर जिला षिमला	785 / 13.10.15	3 कि0ग्रा0 गरी	250	750	840	90
1941, माह	मैं0 शम्भू राम दीप चन्द	2503 / 3.10.15	30 पै0	450	45000	900	450

12/15	रामपुर	केसर	
		अधिक भुगतान	₹848

अतः देय राशि से अधिक भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही ₹2.11 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन करनाः–

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹211163 का व्यय मन्दिर न्यास के अन्तर्गत विभिन्न मन्दिर परिसरों में विभिन्न निर्माण/मुरम्मत कार्य करवाने हेतु किया गया था, परन्तु इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था। निर्माण/मुरम्मत कार्यों के प्राकल्लन तैयार न करके अतिरिक्त तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई और न ही इन कार्यों के वर्कस रजिस्टर तैयार किए गए थे। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मन्दिर न्यास द्वारा किस–किस मन्दिर पर क्या–क्या निर्माण कार्य/मुरम्मत कार्य करवाया और उस पर कितना व्यय हो चुका आदि और मन्दिर न्यास समिति द्वारा इन कार्यों को करवाने सम्बन्धित पारित प्रस्ताव भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इन आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कार्य का निष्पादन अनियमित है, जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के सभी कार्यों को करवाने से पूर्व आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करके ही कार्य निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	जिसको भुगतान किया	वा0 सं0/माह	राशि
1.	बौद्ध मन्दिर छत्त का कार्य	विभागीय स्तर पर	1931, 12/15	14430
2.	Removation of Lambhu Aakhara Badah Aakhara Dhashaleri, Rohru	–यथोपरि–	525, 10/14	55320
3.	गुफा मन्दिर निर्माण कार्य	–यथोपरि–	526, 10/14	37860
4.	Providing Painting Work Laying of Kota Stone and wood work in Lankra beer Mandir Sarahan	–यथोपरि–	530, 10/14	43884
5.	श्री भीमा काली जी मन्दिर सराहन में हवन कुंड का निर्माण व रथ आदि मुरम्मत	विभागीय तौर पर	531, 10/14	59669
			कुल जोड़	**₹211163**

17. श्री श्राईकोटी माता जी मन्दिर में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर ₹1000 का अधिक भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि श्री श्राईकोटी मन्दिर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए मन्दिर ट्रस्ट ने निविदाएं आमन्त्रित की तथा न्यूनतम दर वाली फर्म Jai Ram Computer Service, Rampur, Distt Shimla को एक नंबर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का कार्य दिया गया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बिल में फर्म को निम्नलिखित विवरण द्वारा भुगतान किया गया।

1 No. CCTV Camera	3500	3500
1 No. TFT	4800	4800
1 No. SMPS Power Supply	1500	1500
1 No. PVC Pipe	500	500
2 No. Insttalation & Fixing	1000	2000
Total		**12300**

जब फर्म द्वारा एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया तो 2 नंबर Insttalation & Fixing का भुगतान ₹2000 किस तरह किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म को Insttalation & Fixing में ₹1000 का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित फर्म से करके आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

18. श्री भीमाकाली जी मन्दिर न्यास द्वारा ₹48.09 लाख के निर्माण कार्यों के लिए अधिशासी अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग को दी गई डिपोजिट कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशियों का भुगतान अधिशासी अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डल रामपुर जिला शिमला को किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–"झ"** में दिया गया है, जिस सम्बन्ध में इन भुगतान की राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे। जो कि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा इन राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त नहीं किए गए, जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि की उपयोगिता की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित विभाग से इन की गई भुगतान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा कार्य पूर्ण करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि भुगतान की गई राशियों की पुष्टि हो सके।

19. हिमाचल प्रदेष सरकार के द्वारा मन्दिर, प्रबन्धन व्यवसाय बारे दिनांक 2.8.2008 को लिए गए निर्णयों को लागू करने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि0प्र0 सरकार द्वारा मन्दिर प्रबन्धन की व्यवस्था बारे दिनांक 2.8.2008 के लिए गए निर्णयों को श्री भीमाकाली जी एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर में लागू नहीं किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) मन्दिरों की Balance Sheet तो Chartered Accountant से तैयार करवाई जा रही है, परन्तु मन्दिरों की सम्पत्ति व देनदारियों इत्यादि का पूर्ण विवरण इन Balance Sheets साथ उपलब्ध नहीं था।

(ख) मन्दिरों की सम्पत्ति की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापना (Annual Physical Verification) आयुक्त मन्दिर द्वारा नहीं करवाई गई थी।

(ग) वर्ष 2014 तथा वर्ष 2015 के लिए मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट तैयार नहीं किया गया था।

उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों में बार–बार आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए और अनुपालना इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

20. वाउचर संख्याः 524, माह 10/2014, ₹55320 के भुगतान में पाई गई अनियमिताएंः–

श्री भीमाकाली जी मन्दिर एवं अन्य समूह मन्दिर न्यास, रामपुर जिला शिमला ने Renovation of Lambu Aakhara Badha Aakhara Dhashalni Rohroo के मुरम्मत का कार्य विभागीय स्तर पर करवाया। इस मुरम्मत कार्य हेतु ₹55320 के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गईं।

1. निर्माण/मुरम्मत का कार्य करवाने से पूर्व कार्य का प्राकलन तैयार कर उसे तकनीकी एवं प्रशासनिक तौर से सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित था, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उक्त मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित कोई भी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई।

2. इस मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्याः 15879 पृष्ठ 13 से 17 में उक्त मुरम्मत कार्य से सम्बन्धित निष्पादित मदों की जांच करने पर पाया कि माप पुस्तिका के पृष्ठ 15 में ली गई मद की गणना गलत लेकर अधिक प्रगति दर्शाई गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

M.B में जितनी गणना ली
"P/F wood work in D/W
Shutters 35mm in cup with all nails & Screws Cop.

Door=2x0.9x1.80	=3.24
Window=8x0.9x1.20	=8.64
Total	**27.99**
जितनी वास्तविक में गणना बनती थीः–	
Door 2x0.90x1.80	=3.24
Window 8x0.9x1.20	=8.64
Total	**11.88**
जितनी अधिक मात्रा ली :–	
27.99-11.88	**=16.11**
दर जो ली	**=416.90sq. mtr.**
अधिक प्रगति	**=16.11x416.90=6716.59**

अतः इस मुरम्मत में ली अधिक प्रगति ₹6716.59 के फलस्वरूप इस मुरम्मत कार्य में जो भुगतान किया उसमें ₹13302 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

M.B संख्याः 15879 में जो कुल प्रगति ली वे ₹351260 ली, जिसमें 500 दिन बिना किसी माप के Cutting of bushes and disposal of waste material को लेकर प्रगति (500 दिनxदर 170=85000) को जमा किया गया, जबकि इस मुरम्मत कार्य की सही प्रगति निम्न प्रकार से बनती थी।

माप पुस्तिका संख्याः 15879 में मदों के निष्पादन के साथ सही प्रगति		=148557.00
	+70%	=103990.00
जमा जो 500 दिन (Mandays) बिना प्रगति के लिए 500x170		=85000.00
	कुल प्रगति	**₹337547.00**

जबकि इस मुरम्मत कार्य से निम्न भुगतान किया गयाः–

माह	मस्ट्रोल पर भुगतान
5/2014	115847.00
6/2014	70620.00
7/2014	42873.00

8/2014	51894.00
9/2014	55320.00
10/2014	14288.00
कुल भुगतान	**₹350842.00**

अतः इस प्रकार मुरम्मत कार्य में मद की गलत गणना के फलस्वरूप प्रगति से अधिक ₹13295 का भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

3. मस्ट्रोल में बेलदार को मिस्त्री की दर से ₹3630 का अधिक भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 10/2014 में मस्ट्रोल में किए भुगतान में श्री सुरेश सुपुत्र श्री भावूर सिंह को मस्ट्रोल में बेलदार दर्शाया गया था और इसको ₹170 दैनिकी के हिसाब से ₹5100 का भुगतान होना था, जबकि मस्ट्रोल में मिस्त्री की दैनिकी ₹291 दर्शाकर ₹8730 का भुगतान किया गया। अतः इस प्रकार ₹3630 का अधिक भुगतान किया गया, जिसकी पूर्ण छानबीन कर तथ्यों से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा ₹3630 की वसूली कर न्यास निधि में जमा की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. मुरम्मत में उपयोग की गई सामग्री से सम्बन्धित उपयोग विवरणिका (Consumption Statement) को माप पुस्तिका में न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान माप पुस्तिका संख्याः 15879 में दर्ज किए मदों के अनुसार मुरम्मत कार्य में सीमेंट, रेत, पत्थर, लकड़ी, पलाईवुड आदि अन्य सामग्री का उपयोग किया गया है और नियमानुसार जिसकी खपत विवरणिका या माप पुस्तिका या फिर मस्ट्रोल में दर्शाई जानी अपेक्षित थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सकता कि इस मुरम्मत कार्य के लिए कितनी सामग्री प्राप्त हुई व कितनी सामग्री की वास्तविक खपत हुई, जबकि इस बारे कोई भी विवरण/अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः न्यास इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

5. Removation of lambu Aakhra Badha Aakhasa Dhashalri Rohroo के मुरम्मत कार्य के दौरान स्थल से पुराना सामान जैसे लकड़ी, पत्थर, इत्यादि प्राप्त होने अपेखित थे, परन्तु न्यास द्वारा पुरानी सामग्री की प्राप्ति तथा इसके उपयोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे प्रतीत होता है कि न्यास द्वारा पुरानी सामग्री से सम्बन्धित कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया, जिसके फलस्वरूप पुराने सामान के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः न्यास इसमें अपने स्तर पर छानबीन करें। यदि मुरम्मत के समय कोई सामान उपयोग हेतु प्राप्त हुआ है तो उस सामग्री का उपयोग कहां किया गया से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. मन्दिरों न्यास द्वारा मन्दिरों की मुरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री का अभिलेख तैयार न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री भीमाकाली जी मन्दिर एवं अन्य समूह मन्दिर न्यास रामपुर ने विभागीय स्तर पर मन्दिरों की मुरम्मत/निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न–विभिन्न फर्मों से सामग्री की खरीद की, परन्तु इन खरीद की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में न लेकर सीधे कार्यों पर खपत की, जबकि नियमानुसार हर सामग्री की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करके उसे मांग पत्र के द्वारा सम्बन्धित मुरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए जारी किया जाना अपेक्षित था, जबकि न्यास द्वारा ऐसा नहीं किया और इसके साथ–साथ जितनी सामग्री की खरीद की उससे सम्बन्धित कोई भी खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किया। अतः ऐसी चूक के फलस्वरूप सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता। अंकेक्षण के दौरान नमूना जांच पर जो बिल सामग्री की खरीद के पाए गए का विवरण निम्न प्रकार से है। भविष्य में न्यास द्वारा जो भी मुरम्मत एवं निर्माण कार्य करवाया जाता है और उसके लिए सामग्री न्यास द्वारा जारी की जाती है को पहले स्टॉक में लेकर उस सम्बन्धित कार्य के लिए मांग पत्र द्वारा जारी किया जाए तथा उस सामग्री की खपत का ब्यौरा तैयार कर भुगतान वाउचर या माप पुस्तिका में दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुरम्मत/निर्माण कार्यों में जितनी सामग्री जारी की उसका उपयोग/खपत वास्तविक रूप से सम्बन्धित कार्य पर कर लिया गया। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	बिल सं0/दिनांक	संक्षिप्त क्रय विवरण
1.	मै0 रूप ट्रेडर्ज, रामपुर	342, 30.6.2015	पेण्ट, डिस्पैण्टर
2.	–यथोपरि–	2875, 1.7.2015	डाक्टर फीसट, ब्रास फलोट बॉल्ब इत्यादि
3.	–यथोपरि–	2877, 1.7.2015	ध्योडा (टाटा) 10 पाऊडस व हत्थी
4.	–यथोपरि–	344, 4.7.2015	पैनट सामग्री
5.	–यथोपरि–	2885, 24.7.15	सफाई कार्य से सम्बन्धित सामग्री
6.	–यथोपरि–	346, 31.7.2015	पेन्ट व पानी की फिटिंग से सम्बन्धित सामग्री
7.	–यथोपरि–	2897, 1.8.2015	स्टील टावर बोल्ट स्टील हैण्डल शीशा व अन्य सामग्री
8.	–यथोपरि–	2901, 5.8.2015	फैवीकोल, कील व सैंड पेपर इत्यादि
9.	–यथोपरि–	2903, 8.8.2015	झाड़ू इत्यादि
10.	–यथोपरि–	348, 28.8.15	पानी की फिटिंग से सम्बन्धित सामग्री
11.	–यथोपरि–	2909, 2.9.2015	स्टील हैण्डल, कील व स्टील स्क्रू
12.	–यथोपरि–	2907, 20.9.2015	इत्यादि
13.	–यथोपरि–	2995, 9.10.2015	

22. न्यास द्वारा मन्दिर कर्मचारियों तथा मन्दिरों में तैनात पंडितों एवं अन्य स्टॉफ को राशन का सामान बिना औपचारिकताएं किए स्टॉफ द्वारा स्वयं खरीद करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री भीमाकाली जी मन्दिर एवं अन्य मन्दिर समूह न्यास रामपुर द्वारा प्रस्ताव पारित कर अपने कार्यालय स्टॉफ को हर माह राशन देने का प्रावधान किया है, जिसके आधार पर स्टॉफ द्वारा अपने आप खुले बाजार से राशन की खरीद कर उसका बिल न्यास को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, जोकि अनियमित था, जबकि नियमानुसार मन्दिर न्यास खाद्य आपूर्ति विभाग के

माध्यम से अथवा खुले बाजार से निविदाएं आमन्त्रित कर या शहर के थोक बिक्रेता की दुकान से हर माह जितने खाद्य पदार्थ (करियाना) की आवश्यकता है, खरीद कर उसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में लेकर हर मन्दिर को, मन्दिर के स्टॉफ तथा कार्यालय स्टॉफ को वितरित करने का प्रावधान करें, ताकि एक मुश्त सामग्री की खरीद खुले बाजार से कम से कम दरों पर की जा सके और इस सामग्री के स्टॉक का रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेख भी तैयार हो सके। न्यास के स्टॉफ द्वारा जिस तरह सामग्री की खरीद की गई उसका ब्यौरा उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

क्र0 सं0	वा0 सं0/माह	फर्म का नाम/बिल सं0	राशि	विवरण
1.	1835, 12/15	M/s Thakur Kariayana Shop Chargoan Road, Rohroo. Distt Shimla. Bill No. 25, dt. 2.9.15	1670	यह सामग्री/करियाना रोहड़ू से पंडित जी अपने लिए खरीदा जैसा कि प्रस्ताव में पारित है, परन्तु इस सामग्री की कोई भी स्टॉक प्रविष्टि न कर सीधे पंडित ने अपने उपयोग के लिए किया, जबकि इसकी पूर्ण स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जानी अपेक्षित थी
2.	1836, 12/15	-do- Bill No. 26, dt. 2.9.15	1450	बिल पर न तो कुछ मदों की दरें दी और न ही सामान का भार दर्शाया गया था और यह सामग्री किस उद्धेश्य के लिए खरीद की गई बिल में नहीं दर्शाया गया था
3.	1837, 12/15	-do- Bill No. 30, dt. 2.9.15	1674	इस बिल में देय सामग्री से अधिक सामग्री की खरीद की गई
4.	1838, 12/15	-do- Bill No. 31, dt. 2.10.15	1365	बिल पर कुछ एक मदों की न तो दरें दर्शाई गई और न ही भार दर्शाया गया था और यह सामग्री किस उद्धेश्य के लिए खरीदी गई। वे भी नहीं दर्शाया गया
5.	1839, 12/15	-do- Bill No. 32, dt. 19.10.15	348	–यथोपरि–
6.	1840, 12/15	-do- Bill No. 42, dt. 3.11.15	1400	–यथोपरि–
7.	1841, 12/15	-do- Bill No. 43, dt. 3.11.15	1796	इस बिल में देय सामग्री तय यात्रा से अधिक थी
8.	1858, 12/15	M/s Chaudhary mull Ghunger mull Sharahan, Teh. Rampur Distt Shimla. Bill No. 770, dt. 3.9.15	7565	यह सामग्री श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन जिला शिमला के पूजा के लिए क्रय की गई
9.	1859, 12/15	-do- Bill No. 771, dt. 3.9.15	1820	–यथोपरि–
10.	1860, 12/15	-do- Bill No. 769, dt. 3.9.15	12394	श्री भीमाकाली जी मन्दिर में तैनात स्टॉफ के लिए राशन की खरीद
11.	1861, 12/15	-do- Bill No. 772, dt. 3.9.15	1366	श्रीमति फुला देवी के लिए राशन की खरीद
12.	1862, 12/15	-do- Bill No. 767, dt. 13.9.15	7055	श्री भीमाकाली जी सराहन मन्दिर भण्डारे के लिए राशन की खरीद
13.	1863, 12/15	-do- Bill No. 765, dt. 5.9.15	2448	सराहन मन्दिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर पूजा हेतु क्रय किया गया सामान
14.	1864, 12/15	-do- Bill No. 766, dt. 5.9.15	554	–यथोपरि–
15.	1865, 12/15	-do- Bill No. 773, dt. 20.9.15	1045	सराहन मन्दिर में विश्राम गृह हेतु सामान क्रय किया गया

16.	1866, 12/15	-do- Bill No. 775, dt. 4.10.15	6495	सराहन मन्दिर में साप्ताहिक भण्डारे के लिए क्रय किया गया राशन
17.	1869, 12/15	-do- Bill No. 778, dt. 4.1.15	12526	सराहन मन्दिर में न्यास में कार्यरत कर्मचारियों के मैस हेतु क्रय किया गया राशन
18.	1870, 12/15	-do- Bill No. 779, dt. 4.10.15	7565	सराहन मन्दिर में नित्य पूजा हेतु क्रय किया गया सामान
19.	1820, 12/15	-do- Bill No. 780, dt. 4.10.15	1820	–यथोपरि–
20.	1872, 12/15	M/s Chaudhary Mull Ghunger Mull Sharahan, Bill No. 781, dt. 4.10.15	1420	श्रीमति फूला देवी न्सास कर्मचारी को क्रय किया गया राशन
21.	1875, 12/15	-do- Bill No. 783, dt. 10.10.15	7095	श्री भीमाकाली जी मन्दिर सराहन में भण्डारे हेतु क्रय किया गया राशन
22.	1896, 12/15	Shambhoo Ram Deep Chand Rampur Bill No. 2472-2473, dt. 5.8.15	2307	श्री दुर्गा माता श्राईकोटी मन्दिर के पूजा हेतु क्रय किया गया सामान (हवन पाठ के दौरान)
23.	1897, 12/15	-do- Bill No. 2471, dt. 5.8.15	2878	–यथोपरि–
24.	1898, 12/15	-do- Bill No. 2460, dt. 5.8.15	9289	श्री दुर्गा माता श्राईकोटी मन्दिर नित्य पूजा व कर्मचारी मैस हेतु क्रय किया गया सामान
25.	1861, 12/15	-do- Bill No. 2430, dt. 18.8.15	8780	न्यास के तहत रामपुर के 6 मन्दिरों में नित्य पूजा हेतु क्रय किया गया सामान
26.	1902, 12/15	-do- Bill No. 2490-91, dt. 10.9.15	15116	न्यास रामपुर कर्मचारियों हेतु क्रय किया गया राशन
27.	1903, 12/15	-do- Bill No. 2494, dt. 18.9.15	8600	न्यास के तहत रामपुर के 6 मन्दिरों में नित्य पूजा हेतु क्रय किया गया सामान
28.	1904, 12/15	-do- Bill No. 2495, dt. 18.9.15	1800	कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रामपुर के मन्दिर हेतु क्रय किया गया सामान
29.	1922, 12/15	Thakur Kriyana Shop Rohroo Bill No. 59, dt. 2.12.15	1775	रोहड़ू मन्दिर में चौकीदार को क्रय किया गया राशन
30.	1923, 12/15	-do- Bill No. 060, dt. 2.12.15	1430	रोहड़ू मन्दिर में नित्या पूजा हेतु क्रय किया गया सामान
31.	1943, 12/15	Shambhoo Ram DIP Chand Rampur Bill No. 2472-2473, dt. 5.8.15	2100	अष्टमी के उपलक्ष्य में रामपुर के मन्दिरों में पूजा सामग्री हेतु क्रय किया गया
32.	1947, 12/15	-do- Bill No. 2521-2522, dt. 6.11.15	2367	दशहरे के उपलक्ष्य में अयोध्यानाथ मन्दिर हेतु क्रय किया गया राशन व पूजा का सामान
33.	1949, 12/15	-do- Bill No. 2527, dt. 28.4.15	2700	दीवाली के उपलक्ष्य में रामपुर के मन्दिरों के लिए क्रय की गई पूजा सामग्री
34.	1950, 12/15	-do- Bill No. 2528-2529, dt. 28.11.15	53462	श्री दुर्गा माता श्राईकोटी मन्दिर में चार मास का पूजा सामग्री व राशन क्रय किया गया
35.	1951, 12/15	-do- Bill No. 2530, dt. 28.11.15	8870	रामपुर के मन्दिरों में नित्य पूजा हेतु क्रय किया गया
36.	1957, 12/15	M/s Chaudhary Mull Ghunger Mull Sharahan, Bill No. 785, dt. 13.10.15	3283	सराहन मन्दिर में नवरात्र हेतु क्रय किया गया

37.	1958, 12/15	-do- Bill No. 786, dt. 13.10.15	4913	–यथोपरि–
38.	1959, 12/15	-do- Bill No. 787, dt. 13.10.15	2270	–यथोपरि–
39.	1960, 12/15	-do- Bill No. 788, dt. 13.10.15	1976	–यथोपरि–
40.	1961, 12/15	-do- Bill No. 789, dt. 13.10.15	8379	–यथोपरि–
41.	1962, 12/15	-do- Bill No. 790, dt. 13.10.15	7103	सराहन मन्दिर में नवरात्रों में पार्टियों के लिए क्रय किया गया राशन
42.	1964, 12/15	-do- Bill No. 792, dt. 13.10.15	2248	नवरात्र में कन्या पूजन हेतु क्रय किया गया सामान

23. स्टॉक एवं स्टोर का लेखा नियमानुसार तैयार न करना:–

स्टॉक एवं स्टोर से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सम्बन्धित अभिलेखों का नियमानुसार रख–रखाव नहीं किया गया था। अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान क्रय किए गए विभिन्न सामान की प्रविष्टियां भी स्टॉक एवं स्टोर पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी। इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 33 में आपत्ति दर्ज की गई थी, परन्तु वर्तमान समय तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह मामला पुनः उच्च अधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि नियमानुसार स्टॉक एवं स्टोर का लेखा बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

24. चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टरों का रख–रखाव न किया जाना:–

Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 की धारा 6(1)(डी) के अन्तर्गत न्यास द्वारा अधिग्रहित समस्त मन्दिरों के सम्बन्ध में अधिग्रहण के समय तथा अधिग्रहण के बाद अधिग्रहित मन्दिर की चल सम्पत्ति जैसा कि सोना, चांदी मूर्तियों, आभूषण, महंगे स्टोन (पत्थर) एवं नगीने तथा अन्य धातुओं से बना सामान दूसरी चल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण, वजन एवं मूल्यांकन सहित तैयार जाना अपेक्षित था, जबकि मन्दिर न्यास रामपुर द्वारा केवल कुछ अधिग्रहित मन्दिरों जैसा कि भीमाकाली जी सराहन मन्दिर का ही चल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार किया गया था तथा जो अन्य अधिग्रहित मन्दिरों की चल सम्पत्ति का कोई लेखांकन इस रजिस्टर में नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 6(1)(ई) के अन्तर्गत अधिग्रहित मन्दिर की अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा भी अचल सम्पत्ति रजिस्टर में लेखांकित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा अधिगृहित मन्दिरों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा लेखांकित नहीं किया गया था। अतः मन्दिर न्यास द्वारा धारा 6(1)(डी)(ई) के अन्तर्गत चल–अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा लेखांकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा–34 में आपत्ति दर्ज की गई थी। अतः पुन से सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास द्वारा अधिग्रहित विभिन्न मन्दिरों की चल अचल सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा शीघ्र अतिशीघ्र तैयार किया जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25. कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम इत्यादि का न बनवाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास में कार्यरत्त कर्मचारियों के सेवा से सम्बन्धित नियम तथा वेतन भत्ते इत्यादि की अदायगी बारे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में बार–बार आपत्ति उठाई जाती रही है। सेवा नियमों की अनुपस्थिति में देय अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि सत्यता की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः यह मामला मन्दिर न्यास के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के सेवा नियम बनाए जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

26. लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से जारी नहीं की गई। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

27. निष्कर्षः– लेखों में सुधार की अति आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठाँकन संख्या :–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)204/99–खण्ड–4–6308–6311, दिनांकः 30.11.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृतः–1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास भीमाकाली जी सराहन, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिष्चित करें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3. उपायुक्त शिमला जिला शिमला (हि0प्र0)
4. निदेशक, (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "I" पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 6.10.1986 से 31.12.1999

क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	6	अनिर्णीत	
2	7	अनिर्णीत	
3	37	अनिर्णीत	
4	39	अनिर्णीत	
5	45	अनिर्णीत	
6	46	अनिर्णीत	
7	47	अनिर्णीत	
8	48	अनिर्णीत	
9	49	अनिर्णीत	
10	50 (ख)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 01.01.2001 से 31.12.2001

1	8 (1)	अनिर्णीत	
2	8 (2)	अनिर्णीत	
3	19	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2002 से 31.12.2004

1	5	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क को बैंक ड्राफ्ट संख्याः 1775027, दिनांक 20.6.2008 द्वारा जमा करवाने उपरान्त)
2	14	अनिर्णीत	
3	16	अनिर्णीत	
4	24 (1 से 4)	अनिर्णीत	
5	25	अनिर्णीत	
6	26	अनिर्णीत	
7	27 (ख)	अनिर्णीत	
8	29	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2005 से 31.12.2005

1	6(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
2	12 (ख)	अनिर्णीत	
3	13 (1 से 3)	अनिर्णीत	
4	14 (क)	अनिर्णीत	
5	17 (ग)	अनिर्णीत	
6	19 (ङ)	अनिर्णीत	

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2006 से 31.12.2010

क्र0सं0	पैरा संख्या	विवरण	टिप्पणी
1	4 (क)	अनिर्णीत	
2	6	अनिर्णीत	
3	7 (क)	निर्णीत	(न्यास द्वारा दिए उत्तर के आधार पर)
4	7 (ग)	अनिर्णीत	
5	7 (घ)	निर्णीत	(बैंक द्वारा दी गई विवरणी और न्यास द्वारा दिए उतर के आधार पर निर्णीत)
6	8 (क)(ख)	अनिर्णीत	
7	10	अनिर्णीत	
8	11	अनिर्णीत	
9	12	निर्णीत	(आयुक्त श्री भीमा काली जी मन्दिर न्सास एवं उपायुक्त षिमला द्वारा दी कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर पैरा निर्णीत)

10	15	निर्णीत	(आयुक्त न्यास एवं उपायुक्त षिमला द्वारा दी कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर पैरा निर्णीत)
11	16	अनिर्णीत	
12	17	अनिर्णीत	
13	18 (क,ख व घ)	अनिर्णीत	
14	19	अनिर्णीत	
15	24 (क)(ख)	अनिर्णीत	
16	25	अनिर्णीत	
17	26(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत	
18	27 (क)(ख)	अनिर्णीत	
19	28	अनिर्णीत	
20	29 (ख)	अनिर्णीत	
21	30(क)	निर्णीत	(₹1520 तथा ₹3360 की वसूली भी वाऊचर संख्याः
22	30(ख)	निर्णीत	507, दिनांक 18.10.2012 के द्वारा की जाने की पृष्टि उपरान्त)
23	30(घ)	निर्णीत	(न्यास कमेटी के प्रस्ताव संख्याः 17 दिनांक 2.10.14 को हुई बैठक के आधार पर निर्णीत)
24	31	निर्णीत	(दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दिए अग्रिम की वसूली हो चुकी है, अतः पैरा निर्णीत)
25	32	अनिर्णीत	
26	33	अनिर्णीत	
27	34	अनिर्णीत	
28	36(ख)(ग)(घ)(ङ)	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अधि 1.1.2011 से 31.12.2013

1	3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹32400 चैक संख्या 207506, दिनांक 9.6.15 द्वारा प्रेषित किए जाने के सत्यापनोपरान्त)
2	4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 4 में वर्णित)
3	5(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पेरा 5(क) में वर्णित है)
4	5(ख, ग)	अनिर्णीत	
5	6	निर्णीत	(न्यास द्वारा दिए गए उतर के आधार पर निर्णीत)
6	7(क)(i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6(क) मे वर्णित)
7	7(क)(ii)	अनिर्णीत	
8	7(ख)(i से iv)	अनिर्णीत	
9	8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण के पैरा 8 में वर्णित)
10	9	निर्णीत	(रोकड़ बही में रसीदो की प्रविष्टि के आधार पर पैरा निर्णीत)
11	10	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण के पैरा 10 में वर्णित)
12	11	अनिर्णीत	
13	12	अनिर्णीत	
14	13	निर्णीत	(किराये ₹9000 की वसूली रसीद संख्या 20009, दिनांक 22.4.2015 द्वारा की। अतः पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)

15	14	निर्णीत	(विश्राम गृह व संराय से प्राप्त आय को दिन प्रतिदिन के आधार पर जमा कर रहे बारे, निर्देषों की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णीत)
16	15	निर्णीत	(न्यास द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर पैरा निर्णीत)
17	16	अनिर्णीत	
18	17	अनिर्णीत	
19	18	निर्णीत	(न्सास द्वारा दिए गए उतर जिसमे ंउनके द्वारा विज्ञापन आदि पर व्यय नहीं किया जा रहा, के आधार पर पैरा निर्णीत)
20	19	निर्णीत	(न्सास द्वारा दिए उतर के आधार पर पैरा निर्णीत)
21	20	अनिर्णीत	
22	21(क)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 20118, दिनांक 11.6.15 द्वारा राषि ₹600 की वसूली उपरान्त पैरा निर्णीत)
23	21(ख)	अनिर्णीत	
24	22(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
25	23(क,ख)	अनिर्णीत	
26	24	अनिर्णीत	
27	25	अनिर्णीत	
28	26	अनिर्णीत	
29	27	अनिर्णीत	
30	28	अनिर्णीत	
31	29	अनिर्णीत	
32	30	अनिर्णीत	
33	31	अनिर्णीत	
34	32	अनिर्णीत	
35	33	अनिर्णीत	
36	34	अनिर्णीत	
37	35	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरे**
दिनांक 31.12.13 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	**92**
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	23
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	20
दिनांक 31.12.15 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	**92**